

(सम्बन्धित उप-वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 7 | परियोजना / स्कीम का स्थान | : | जनपद कन्नौज में साउथ इस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा प्रस्तावित 675 के०वी० पारेषण लाइन मैनपुरी से उन्नाव तक निर्माण हेतु प्रभावित ०.३०२ हेठ० संरक्षित वन भूमि के गैर ०.३२ वानिकी प्रयोग की अनुमति। |
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | : | उत्तर प्रदेश |
| ii) | जिला | : | कन्नौज |
| iii) | वन प्रभाग | : | कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र | : | ०.३०२ हेक्टेयर |
| v) | वन का कानूनी स्थिति | : | संरक्षित वन |
| vi) | हरियाली का घनत्व | : | ०.३ |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिपि श्रेणी वार वृक्षों की परिणामा (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल-२ मीटर पर परिणामा और एफ.आर.एल-४ मीटर भी संलग्न किया जाये) | : | कन्नौज वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि पर वाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | : | नहीं |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दुरी। | : | प्रस्तावित स्थल के आस-पास वन क्षेत्र नहीं है। |
| x) | क्या कार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, वाध रिजर्व, हाथी कोरिंडोर आदि का भाग है। (यदि हों, क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्स जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित अनुबन्धित की जाए) | : | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ / राक्षयिकन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें। | : | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य पहल्वापूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सकाम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | : | नहीं |
| 8 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-१ कॉलम २ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम हैं, यदि नहीं तो जाचे मये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या हैं। | : | प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। |
| 9 | क्या आधिग्रन्थ के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:- (हैं / नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें क्या उल्लंघ सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | : | नहीं |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण का व्योरा | : | |

| | | | | |
|----|------|---|---|---|
| | i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। | : | क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है। |
| | ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस—पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप | : | क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है। |
| | iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि। | : | क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है। |
| | iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय | : | क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है। |
| | v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये। | : | क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है। |
| 11 | | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | : | संलग्न है। |
| 12 | | विभाग / जिला प्रोफाइल | : | |
| | i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | : | 212923.00 हेक्टेयर |
| | ii) | जिले का वन क्षेत्र | : | 5398.255 हेक्टेयर |
| | iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | : | 22, 199.76 हेक्टेयर |
| | iv) | 1980 से जिला / प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | : | |
| | (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण | : | - |
| | (ख) | वनेत्तर भूमि पठन | : | 86.594 हेक्टेयर |
| | v) | तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | : | - |
| | (क) | वनभूमि पर | : | 32.80 हेक्टेयर |
| | (ख) | ऊसर भूमि पर | : | 118.72 हेक्टेयर |
| 13 | | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की पिशेष सिफारिश। | : | प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संरुपति की जाती है। |

(राकेश कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

कक्षन्नौज वन मंडाम प्रभाग नौज

कक्षन्नौज